[श्री शरद यादव]

देश का जो पुरूषार्थ है, हमारे देश की जो इतनी बड़ी आबादी है उसके मुकाबले हम उतनी बुरी हालत में नहीं है, उतने पीछे नहीं है। चीन हमसे सात, आठ गुणा आगे चला गया है, लेकिन हमारी हालत भी ऐसी नहीं है। आप यदि ठीक से संकल्प के साथ कोई रास्ता पकड़ेंगे तो हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके साथ है, लेकिन इस बयान पर महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं सरकार के साथ सहमत नहीं हूं। मैं वार्ता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी वार्ता कि हम लगातार आतंकवाद के शिकार होते रहें, हमारे बेबस और लाचार लोग यहां से वहां तक मरते रहें। मैं इसके बारे में एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया में एक वातावरण बना था, सारी दुनिया मुम्बई हमले को महसूस करती थी और उससे पूरी दुनिया मर्माहत हुई थी। उस मर्माहत को आपने थोड़ी दूर तक ले जाने का काम भी किया था, लेकिन शर्म-अल-शेख में जो आपका संयुक्त वक्तव्य है, उसने उस धारणा को चोट पहंचाने का काम किया है। दुनिया में हमारा जो समर्थन बढ़ा था, वह समर्थन भी आज डावांडोल है। इससे अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फौज और उनका जो इलाका है स्वात घाटी, जहां रेडियों मुल्ला रहता है। स्वात घाटी में अमेरिका और पाकिस्तान की फौज दोनों साथ-साथ लड़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: वे तो उनके हितों को देखकर ही बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका अपने हितों के अनुसार, हमारे हितों के अनुसार नहीं, अपने हितों के अनुसार बहुत से काम करता रहेगा। मैं यह महसूस करता हूं। अमेरिका के साथ हमारा झुकाव, मैं कई बातों को देखकर कहता हूं कि यहां बुश साहब आये थे तो जो बम सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, वे महात्मा गांधी जी की समाधि पर चले गये थे।

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: महोदया, यह सीधी बात है कि हमें महसूस होता है कि इसमें अमेरिका अपने हितों के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। जो आम सहमति से जो विदेश नीति चली है, जिस आम सहमति से हमने 62 वर्ष इस देश को चलाया है, इस मामले में राज और सरकार और ट्रेजरी बैंच और अपोजिशन का कोई मामला नहीं है। आप इस आम सहमति को फिर से कायम कीजिए और यह वक्तव्य देश को ठीक तरह से आगे लेकर कीजिए। हम ऐसा महसूस करते हैं कि वह काम अधूरा है, इसलिए आम सहमति खंडित हुई है, विखंडित हुई है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, शर्म-अल-शेख के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य और इटली में जी-8 देशों की बैठक में जो मैंने कहा उस पर मैं श्री यशवंत सिन्हा, श्री मुलायम सिंह जी, श्री शरद यादव जी की टिप्पणियों के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं सभी मुद्दों का उल्लेख करूंगा और सभी मुद्दों को स्पष्ट करूंगा।

अपराहन 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं हम इस सत्य को नहीं झुठला सकते कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। दोनों देशों को अच्छा पड़ोसी होना चाहिए। यदि हम अच्छे पड़ोसी की तरह शांतिपूर्वक रहते हैं तो हम दोनों देश अपनी ताकत अपनी जनता के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान करने, दक्षिण एशिया में करोड़ों व्यक्तियों को कष्ट देने वाली अत्यधिक गरीबी की समस्या का समाधान करने पर लगा सकते हैं। यदि दानों देशों के बीच सहयोग हो और विरोध न हो तो उससे व्यापार, पर्यटन और विकास के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुल जायेंगे जिससे दोनों देशों में समृद्धि आएगी।

इसलिए, पाकिस्तान के साथ शांति से रहने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना हमारे काफी हित में है परंतु, हमारे ऐसे मजबूत इरादों के बावजूद यदि हमारे देश में और विदेश में हमारे नागरिकों को मारने और घायल करने के लिए पाकिस्तानी जमीन से आतंकवादी हमले होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह राष्ट्र का दृष्टिकोण है और मैं इस पर कायम हूं।

महोदया, मैंने बार-बार कहा है और मैं इसे अब फिर दोहराता हूं। भारत में किसी भी सरकार के लिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधो को सामान्य करने की दिशा में कार्रवाई करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करने से रोकने की अपनी वचनबद्धता को पूरी तरह से नहीं निभाता है।

मेरे मित्र यशवंत सिन्हा ने उल्लेख किया कि यह वचनबद्धता मेरे विशिष्ट पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से की गई थी और इसे पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मेरी प्रत्येक बैठक में दोहराया गया है। भारत की जनता आशा करती है कि इन आवश्वासनों को पूरा किया जाएगा और यह सरकार इसे साझा राष्ट्रीय सहमति मानती है।

महोदया गत वर्ष नवम्बर में मुम्बई पर हमले से हमारे राष्ट्र को आघात पहुंचा और इससे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को

प्रभावित किया। भारत में तीन दिन तक लोग हमले की वास्तविकता और भय को झेलते रहे जो अब भी हमें सताता है। भारत की जनता की मांग है कि ऐसा भविष्य में दोबारा न हो।

पिछले सात महीनों में हमने अपने नियंत्रणधीन सभी प्रभावी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपायों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति का पालन किया कि पाकिस्तान विश्वसनीयता और निष्ठा के साथ कार्रवाई करे जैसा कि हम किसी सभ्य राष्ट्र से आशा करते हैं।

हमलों के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर-ए-तैयबा और इसके फ्रंट संगठन जमात-उद-दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुंबई हमलों के सरगना जाकिर उर्रहमान लाखवी सहित संगठन से जुड़े चार व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए।

हमने अति कठिन परिस्थितियों में बहुत संयम बरता परंतु यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी। दिनांक 5 जनवरी 2009 को हमने पाकिस्तान को आतंकवादियों के साथ सांठ-गांठ का ब्यौरा सौंपा जिसका खुलासा हमारे जांचकर्ताओं द्वारा किया गया था। कुछ कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने फरवरी 2009 में और उसके बाद पेरिस और शर्म-अल-शेख के लिए मेरे प्रस्थान से पूर्व दो अवसरों पर अपनी जांच की प्रगति के बारे में हमें औपचारिक रूप से जवाब दिया।

नवीनतम डोजियर 34 पृष्ठ का दस्तावेज है जिसमें योजना और घटनाक्रम, पाकिस्तान की विशेष संघीय जांच एजेंसी दल द्वारा की गई जांच, दर्ज की गई एफ आई आर, और हिरासत में रखे गए अभियुक्तों और घोषित अपराधियों का ब्यौरा है। यह दस्तावेज इस्तेमाल किए गए संचार नेटवर्कों पाकिस्तान में वित्तपोषण अभियान और पाकिस्तान में की गई बरामदगी, और मानचित्रों लाइफ-बोट्स, नौवहन प्रशिक्षण संबंधी सूचना, असूचना मैन्युबल बैक रैक्स आदि का ब्यौरा उपलब्ध कराता है।

हमें यह दस्तावेज पाकिस्तान ने दिया है। इसके अनुसार जांच में नि:संदेह यह सिद्ध हो गया कि लश्कर-ए-एयबा उग्रवादियों ने इन हमलों की साजिश रची थी, इनका वित्त पोषण और इन्हें कार्यरूप दिया था। जाकी-उर-रहमान लख्वी और जरार शाह सहित पांच आरोपी पकड़े गये हैं और इन्हें अन्य तेरह को घोषित अपराधी माना गया है। इनके विरुद्ध पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम और अन्य संगत कानूनों के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया है।

हमें बताया गया है कि जांच लगभग पूर्ण है और अब मुकदमा चलाया जाएगा। हमसे कुछ और जानकारी मांगी गई है और वह जानकारी हम शीघ्र ही उपलब्ध करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदया, यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत में हुए आतंकी हमले की जांच के परिणामों से हमें औपचारिक रूप से अवगत कराया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं पुन: यह बात दोहराता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है यह भी पहली बार हुआ कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके नागरिकों और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने भारत में वीभत्स आतंकी हमला किया।

अध्यक्ष महोदया, वास्तविकता यह है कि यह जानकारी उससे कहीं ज्यादा है, जो एनडीए सरकार अपनी लम्बी-चौड़ी बातचीत के बावजूद पाकिस्तान से कभी निकलवा पाई थी। एनडीए की यह शासनकाल सच्चाई वह पाकिस्तान से कभी भी वह नहीं मनवा पाए थे, जोकि उसने अब स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूर्ण सम्मान के साथ श्री यशवंत सिन्हा से कहता हूं कि यूपीए सरकार को विपक्ष से इस संबंध में कोई पाठ लेने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी मामलों पर कार्रवाई कैसे की जाए या राष्ट्र को आतंकी हमलों से किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए।

अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों को नोट करते हुए मुझे यह कहना है कि वह लोग अभी इसकी तह तक नहीं गया है हमें आशा है कि जांच में तत्काल प्रगति होगी और मानवता के विरुद्ध इस घिनौने अपराध को करने वालों की अनुकरणीय दण्ड दिया जायेगा। हमें यह साक्ष्य चाहिए कि उन आतंकवादी समूहों और उनके उग्र संगठनों को अवैध हथियार रहित और बंद करने के लिए कार्रवाई की जा रही है जोकि अभी भी पाकिस्तानी जमीन से कार्यरत है और जो हमारे देश के लिए गम्भीर खतरा बने हुए है।

अध्यक्ष महोदया, अंतिम विश्लेषण में सच्चाई यह है कि हमारे सभी साथियों के बावजूद जो और साथी हम बनाना चाहते हैं जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा–आधुनिक विश्व शक्ति स्वरूप का कड़वा सच यह है कि जब हमें आंतरिक सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करनी होती है, तो हमें स्वय पर निर्भर रहना होगा। स्व-सहायता ही श्रेष्ठ सहायता है। हमारी रक्षा क्षमताओं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और हमारे आपातकालीन अनुक्रिया-तंत्र को मजबूती प्रदान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों को उच्चतम वरीयता और ध्यान दे रही है।

हमारी रक्षा सुरक्षा और आसूचना तंत्र को आधुनिक युक्तिसंगत और मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना समय-बद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। सरकार आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सतर्कता बरत रही है। वास्तविक समय आधार

[डा. मनमोहन सिंह]

पर संवर्धित सूचना और आसूचना का आदान प्रदान सुनिश्चत करने हेतु कदम उठाए गए हैं। हमने किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद को बिल्कुल बरदाश्त न करने की नीति अपनाई है।

महोदया, रक्षा के क्षेत्र में हमारी तटीय और समुद्री सुरक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सेना, नौसेना और वायु सेना के आधुनिकीकरण हेतु प्रमुख शस्त्र प्रणलियों और प्लेटफॉर्मों की बड़े पैमाने पर अधिग्रहण करने की मंजरी दी गई है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के कल्याण में सुधार हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम अपनी संप्रभुता, एकता और अखण्डता के प्रति किसी भी खतरे से अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए पूर्ण प्रयास और व्यय करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह इस महान राष्ट्र की किसी भी सरकार का पुनीत और परम कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदया, हम किसी अन्य देश के साथ बातचीत द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के अपने संकल्प या रुख से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान स्थित आतंकवाद से प्रभावित अन्य प्रमुख महाशक्तियां भी पाकिस्तान से बातचीत करने में लगी हैं। जब तक हम पाकिस्तान से सीधे बातचीत नहीं कर लेते तब तक हमें ऐसा करने के लिए तीसरी पार्टी पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेरा इस सम्मानित सभा से यह निवेदन है कि इसकी प्रभावकारिता और दक्षिण एशिया का दीर्घावधि में क्या मत होना चाहिए। इस मार्ग विशिष्ट की काफी कठिन सीमाएं है दक्षिण एशिया के मामलों में विदेशी शक्तियों का बढ़ता हस्तक्षेप हमें पसंद नहीं है। इसलिए मेरा बल देकर और विश्वास के साथ यह कहना है कि बातचीत और बचनबद्धता श्रेष्ठ भावी मार्ग है। पिछले एक दशक से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का इतिहास ऐसा ही रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर दौरे का राजनीतिक दृष्टि से साहसी निर्णय लिया। इसके बाद कारगिल और इंडियन एयरलाइन्स के विमान का कंधार में अपहरण हुआ। फिर भी उन्होंने जनरल मुशर्रफ को आगरा आने का निमंत्रण दिया और पुन: शांति बहाल करने का प्रयास किया। राष्ट्र ने 2001 में संसद पर हुए दुस्साहसी हमलों को देखा। तब हमारे संबंधों में एकदम कठिन पड़ाव आया। दोनों देशों के सशस्त्र बल पूर्णत: मुस्तैद रहे। परन्तु श्री वाजपेयी इससे प्रभावित नहीं हुए, जैसा कि एक राजनेता को होना भी नहीं चाहिए। वर्ष 2004 में वह इस्लामाबाद गए, जहां एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिससे आपसी संबंधों के लिए एक दृष्टिकोण तय हुआ। मैं सभा को याद कराना चाहता हूं कि विपक्षी दलों ने हिम्मतवाले उन कदमों का समर्थन किया। मैं श्री वाजपेयी के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं और मैंने पाकिस्तान के साथ निपटने में उनकी कुंठा को भी महसूस किया है।

येक्तरिनबर्ग में राष्ट्रपति जरदारी और शर्म-अल-शेख में प्रधानमंत्री गिलानी के साथ हुई मेरी बैठकों में मैंने उन्हें अपनी चिन्ताओं और अपेक्षाओं को कड़े-से-कड़े शब्दों में समझाया। मैंने उन्हें हमारे लोगों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों के कारण भारत के लागों के गहरे आक्रोश और आघात के बारे में अवगत कराया। मैंने उन्हें यह बताया कि उन सभी उग्रवादी समूहों की गतिविधियों पर स्थाई तौर रोक लगाई ही जानी चाहिए जिनसे भारत को खतरा है। मैंने उन्हें विभिन्न आतंकी संगठनों के बीच कोई अंतर न करने का आग्रह किया। मैंने उन्हें बताया है कि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि स्वयं पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। उन्हें वैसी ही राजनीतिक इच्छाशक्ति दर्शाएं और उनकी पूर्वी सीमा पर चल रहे आतंकी समूहों के विरुद्ध उसी सख्ती और सततता से कार्यवाही करे, जैसी कि वे अपनी पश्चिमी सीमा पर समूहों के विरुद्ध कर रहे हैं।

राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी दोनों ने मुझे यह आश्वस्त किया कि पाकिस्तान सरकार गंभीर है और मुम्बई नरसंहार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

श्री यंशवंत सिन्हा ने मुझसे पूछा कि पहले राष्ट्रपति जरदारी और बाद में प्रधानमंत्री गिलानी के साथ मेरी बैठक में क्या अंतर था। इसी बीच वह दस्तावेज आ गया, जिसमें वही प्रगति दिखाई गई थी जिसे मैं पहले ही इंगित कर चुका था। यद्यपि यह प्रगति पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा: "क्या आप पाकिस्तान पर विश्वास करेंगे? मुझे दोनों पड़ोसियों के संबंधों के बारे में यह कहना है कि श्रेष्ठ दृष्टिकाण वही होगा जो पूर्व राष्ट्रपति रेगन ने एक बार कहा था विश्वास करें, परन्तु उसकी जांच पड़ताल कर ले।" यदि हम युद्ध न चाहते हों तो। हमारे पास आगे बढ़ने का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी दोनों ने मुझे बताया कि मुंबई पर हमला करने वाले हमारे नियंत्रण में नहीं थे। मैंने कहा कि इससे हमें संतुष्टि नहीं होगी और यह सुनिश्चित करना उनकी सरकार का कर्तव्य था कि उनकी जमनी से ऐसी घटनाओं को अंजाम न दिया जाए। मैंने उन्हें बताया कि इस प्रकार का दूसरा हमला हमारे संबंधों को अत्यधिक तनावपूर्ण बना देगा और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उन्हें सभी संभव उपाय करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, शर्म-अल-शेख से लौटने के पश्चात् मैंने संसद में एक वक्तव्य दिया जिसमें न केवल प्रधानमंत्री गिलानी के साथ मेरी मुलाकात के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य को स्पष्ट और विस्तारपूर्वक बताया गया बल्कि जो हमने चर्चा की थी वह भी बताया गया।

मैं दोहराना चाहता हूं कि हाल ही में हमारी मुलाकात के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जान गए हैं कि हम एक सार्थक वार्ता तभी कर सकते है जब वे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमनी का किसी भी प्रकार से प्रयोग न होने देने की अपनी प्रतिबद्धता का अक्षरश: पालन

करेगें। यही संदेश तब दोहराया गया था जब विदेश मंत्रियों और विदेश सचिवों की मुलाकात हुई थी।

मैं उसी बात पर कायम हूं जो मैंने संसद में कही थी कि इस संबंध में हमारी दृष्टिकोण नहीं बदला है।

इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उस वक्तव्य में कहा गया है कि पाकिस्तान चाहे आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करे या न करे, हम सभी मुद्दों पर संयुक्त वार्ता करते रहेंगे। यह ठीक नहीं है। संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवाद पर कार्यवाही को वार्ता से नहीं जोड़ा जा सकता। पाकिस्तान भली भांति जानता है कि आतंकवाद एक घातक और वैश्विक खतरा होने के नाते, कोई भी सभ्य देश इसके खात्मे के लिए शर्ते नहीं थोप सकता है। यह एक नितांत और बाध्यकारी अनिवार्यता है जो समस्त वार्ता की पुनः शुरुआत पर निर्भर नहीं हो सकती है। संयुक्त वक्तव्य में ही दोनों पक्ष भावी आतंकवादी खतरों से संबंधित विश्वसनीय और कार्यवाही योग्य सूचना का तुरंत आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हुए।

अध्यक्ष महोदया, जब मैंने प्रधानमंत्री गिलानी से पाकिस्तान से आतंकवाद के बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि काफी पाकिस्तानियों का सोचना है कि भारत ब्लूचिस्तान में दखलंदाजी कर रहा है, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान में जो भी अस्थिरता पैदा कर रहा हो, उससे हमारा कोई हित नहीं है और न ही पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी कोई गलत मंशा है। हमारा विश्वास है कि एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध पाकिस्तान जो पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहे, वही भारत के हित में है।

मैंने उनको बताया और मैं यहां पुनः कह रहा हूं कि दोनों देशों की किसी भी चिंता पर चर्चा करने में हमें कोई डर नहीं है। यदि कोई शंकाएं हैं तो हम उस पर चर्चा करने और उसे दूर करने के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तानी नेताओं ने मुझे कई बार कहा है कि अफगानिस्तान स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पाकिस्तानी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। यह पूर्णतः गलत है। कंधार और जलालाबाद में 60 वर्ष से हमारे वाणिज्यिक दूतावास हैं। हमारे वाणिज्यिक दूतावास सामान्य कूटनीतिक कार्य करते हैं और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता कर रहे हैं जहां हम वृहत सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं। जिससे अफगानिस्तान की आम जनता को लाभ हो रहा है। लेकिन हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री गिलानी को बताया कि हमारी नीति सर्वविदित है। यदि पाकिस्तान के पास कोई साक्ष्य है–और उन्होंने मुझे कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कभी भी कोई डोजियर नहीं दिया गया–हम इसे देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि शांति के लिए प्रयास उतना पाकिस्तान के हित में है जितना हमारे हित में है। पाकिस्तान को अपने देश पर आतंकवाद को हावी होने से पहले ही इसे समाप्त कर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वहां की वर्तमान सरकार इस बात को समझती है। संभव है कि यह बहुत मजबूत न हो लेकिन मुझे बताया गया कि मौजूदा नेतृत्व कार्यवाही की आवश्यकता को समझता है। प्रधानमंत्री गिलानी के साथ आए उनके सांसदों ने मुझे बताया कि अब पाकिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध राजनीतिक सहमति है। इससे कड़े निर्णय लेने में नेतृत्व के हाथ मजबूत होंगे जो उनके देश में आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति कायम करना है जहां हम एक साझे भविष्य और साझी समृद्धि से बंधे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों में ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं। दोनों देशों में अधिकांश लोग दोनों देशो के बीच मौजूद उन समस्याओं का सम्मानजनक हल चाहते हैं जो काफी लम्बे समय से चली आ रही हैं और हम अतीत के विद्वेष को समाप्त करना चाहते हैं। हमें यह पता है, लेकिन विगत में इस मार्ग में बाधाएं आई हैं। इसके परिणामस्वरूप, शांति के दुश्मनों को मौका मिला है। वे हमारे अलगाव को स्थाई और दो देशों के बीच अत्यधिक दूरी को पैदा करना चाहते है। अपने जनता के हित में और दक्षिण एशिया में समृद्धि और शांति के हित में हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करना हूं कि पाकिस्तान को आतंकवाद को हराने की शक्ति और हिम्मत मिले जो न केवल भारत पाकिस्तान के बीच शांति अपितु दक्षिण एशिया का भविष्य भी खराब करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि वे दृढ़ता और साहस दिखाते हैं तो हम उनसे आगे बढ़कर मिलेंगे।

क्षितिज पर कुछ अनिश्चितताएं है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, पड़ोसी के साथ व्यवहार-दो परमाणु शक्तियां-विगत में जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, अंधा विश्वास नहीं बल्कि विश्वास करो और परखो। वर्तमान में, हम किस पर सहमत हुए हैं? लोग कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय सहमति को तोड़ा है। मैं इस बात से इंकार करता हूं कि आतंकवाद को सहन न करने के लिए हमने किसी राष्ट्रीय सहमति को तोड़ा है और दोनों देशों के बीच सभी असहमतियों और चिंताओं पर व्यापक वार्ता तभी हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर प्रभावी कार्यवाही करें।

वर्तमान में हम केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देशों में विदेश सचिव बैठक करेंगे। दोनों विदेश सचिव संयुक्त वक्तव्य से पहले भी बैठक करते रहे हैं। इसके अलावा, हम इस

[डा. मनमोहन सिंह]

बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों विदेश मंत्री महासभा की बैठक के समय मुलाकात करेंगे। दोनों विदेश मंत्री संयुक्त वक्तव्य जारी होने से पहले भी मिलते रहे हैं। हाल ही में वे त्रिस्ते में मिले थे। मैं राष्ट्रपति जरदारी से रूस में मिला। मैं इस वक्तव्य से पहले भी प्रधानमंत्री गिलानी से मिला था। इस प्रकार, व्यवहारिक रूप से हम केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि जब भी आवश्यकता होगी, विदेश सचिवों की बैठक होगी और उसके बाद महासभा की बैठक के समय दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक होगी।

क्या इस संबंध में हमें अपना रुख त्यागना पेड़ेगा? क्या रुख में नर्मी लानी होगी? मेरा पूरा विश्वास है कि पड़ोसी के रूप में वार्ता के विकल्प खुले रखना हमारा दायित्व है, देखिए, आज विश्व में क्या हो रहा है।

अमरीका और ईरान पिछले 30 वर्षो से कट्टर दुश्मन थे। परंतु अब वे वार्ता के लिए बाध्य हैं। पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है और यदि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते तो हैं तो धीरे-धीरे वार्ता जारी रखने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है यूं ही भरोसा न कर सच्चाई का पता लगा कर ही पाकिस्तान से वार्ता करना एकमात्र संभावित तरीका है।

महोदया अब मैं उन तीन अन्य मुद्दों पर आता हूं जिन्हें माननीय यशवंत सिन्हा जी ने उठाया है। एक मुद्दा निर्धारित उपयोग (एड यूज) हेतु निगरानी समझौते से संबंधित है जो हमने रक्षा खरीद के लिए अमरीका के साथ किया है। महोदया, हमारी सरकार सहित सभी सरकारें निर्यात किए गए रक्षा उपस्कर और प्रौद्योगिकियों का निर्धारित आयोग लिए जाने और उन्हें गलत हाथों में जाने से रोकने का विशेष ध्यान रखती है।

1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से भारत सरकार और अमरीका सरकार ने अमरीकी उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा उपस्कर और आपूर्तियों के अयात हेतु निर्धारित उपयोग संबंधी निगरानी समझौता किया है। इन समझौतों पर उत्तरोत्तर भारत सरकारों द्वारा प्रत्येक मामले में इस समझौते से पूर्व इस पर विचार-विमर्श किया गया था सरकार ने केवल उन उपायों को ही स्वीकार किया है जो पूर्णत: हमारी संप्रभुता और सम्मान के अनुरूप हैं।

अब हमने अमरीका के साथ व्यपाक समझौता किया है जो कि भविष्य की ऐसी आपूर्तियों पर लागू होगा जिन्हें भारत चुनता है। व्यापक समझौता करके हमने पूर्वानुमान की प्रणाली लागू की है अन्यथा हमें हरेक मामले में तदर्थ आधार पर ऐसा समझौता करना पड़ता।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अपने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व में उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारे देश के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमें इन खतरों से निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए तथा हमें उनसे आगे होना चाहिए। हमारी सेनाएं विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम उपस्कर प्राप्त करने की हकदार हैं। इसलिए रक्षा उपकरणों के हमारे आयात के स्रोतों की अधिकतम संभावित विविधिकरण करना भी हमारे हित में है।

महोदया मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सभी पूर्वोपाय किए हैं। समझौते में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है जिससे भारत की संप्रभुता से समझौता होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है-मैं दोहराता हूं कि निरीक्षण और संबंधित मामलों के बारे में अमरीका द्वारा किसी एकतरफा कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के पास संयुक्त परामर्श, द्वारा सत्यापन प्रक्रिया सहित संयुक्त रूप से निर्णय लेने का संप्रभु अधिकार है। कोई भी सत्यापन अनुरोध किए जाने के बाद होगा; सत्यापन तभी होगा जब दोनों देश तिथि और स्थान के संबंध में सहमत हों। किसी सैन्य स्थल अथवा संवदेनशील क्षेत्रों के तटस्थानिक निरीक्षण अथवा उनमें जाने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्धारित उपयोग संबंधी निगरानी व्यवस्था की यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदया, श्री यशवंत सिन्हा ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा इस तरह उठाया है जैसे कि मानों हमने अपना रवैया बदल लिया है ऐसा कुछ नहीं है। इटली में विश्व की आठ बड़ी अर्थव्यवस्था की जी-8 देशों के साथ बैठक हुई थी। भारत को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। 17 अन्य देश उपस्थित थे। तथापि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए। कि ला-अकिला में स्वीकृत पमुख आर्थिक मंच घोषणा पत्र भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन नीति की घोषणा नहीं है और न ही यह भारत और अन्य देश के बीच द्विपक्षी या देशों के बीच घोषणा पत्र है। यह एक ऐसा घोषणा पत्र है जो 17 विकसित और विकासशील देशों के साझा दृष्टिकोण की दर्शाता है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया और मेक्सिको विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे घोषणा-पत्र इसलिए आवश्यक रूप से सामान्यत: विविध देशों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है ।

कुछ हलकों में यह तर्क दिया जा रहा है कि घोषणा पत्र में वैज्ञानिक इस मत का उल्लेख किया जाना कि वैश्विक तापमान दो डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, यह जलवायु परिवर्तन के विषय में भारत की स्थित में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है और यह हमें उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है। यह दृष्टिकोण घोषणा-पत्र विषय वस्तु एकपक्षीय और भ्रामक व्याख्या है।

भारत का विचार है, जिसे निरंतर विश्व के सभी मंचों में व्यक्त किया गया है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ऐसा वर्तमान में हो रहा है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम भारत जैसे विकासशील देशों पर सर्वाधिक पड़ेंगे। दो डिग्री सेंटीग्रेड की न्यूनतम वृद्धि का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा वैज्ञानिक राय को प्रतिबिंबत करता है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि के खतरों के बारे में भारत की राय पुष्टि करता है। यह सच है कि भारत ने पहली बार किसी दस्तावेज में दो डिग्री सेंटीग्रेड के संदर्भ को संभावित शुरुआती मार्गदर्शक कार्रवाई के रूप में स्वीकार किया है परन्तु यह वैश्विक तापमान में वृद्धि संबंधी हमारी उक्त स्थिति के पूर्णत: अनुरूप है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करने मात्र से आर्थिक मंच में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत और अन्य विकासशील देशों के उत्सर्जन में कमी लाने वाले दायित्व स्वत: अनिवार्य नहीं बन जाते हैं। इस मामले में मुझे यह उल्लेख करना कि हमारी और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी है और हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उस देश के साथ अपनी स्थिति का समतल करते रहे हैं।

इसके बिल्कुल विपरीत वैश्विक तापमान में वृद्धि का जितना अधिक खतरा होगा विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन कमी संबंधी लक्ष्यों को बढ़ाने की उतनी ही अधिक जिम्मेदारी होगी। इसलिए, भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 37 विकासशील देशों ने बहुपक्षीय वार्ताओं में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें विकसित देशों से 1990 को आधार मानते हुए वर्ष 2020 तक कम से कम 40 प्रतिशत के कमी लाने वाले लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए कहा गया है।

महोदया, प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच घोषणा पत्र जलवायु परिवर्तन संबंधी युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनवेंशन विशेष रूप से समता कि सिद्धांत और साझा परंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों का संबंधित क्षमताओं से जुड़े। सिद्धान्तों और प्रावधानों को दोहराता है।

जैसा कि हम भली भांति परिचित है, जलवायु परिवर्तन संबंधी युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनवेशंन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य केवल विकसित देशों पर लागू होते हैं। विकासशील देश सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके द्वारा किसी भी कमी संबंधी बढ़ती हुई पूरी लागत की पूर्ण क्षतिपूर्ति विकसित देशों द्वारा वित्तीय और प्रौद्योगिकीय संसाधनों के अंतरण द्वारा करनी ही होगी। इसे प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच घोषणा पत्र में पूर्णत: प्रतिबिंबित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य विकासशील देशों के समर्थन से भारत द्वारा जोर दिए जाने पर घोषणा पत्र, में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति सम्मिलित है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई करने में विकासशील देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। इससे यह संदेह दूर हो जाना चाहिए कि भारत ऐसी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए दबाव में होगा जो आर्थिक विकास प्रक्रिया की धीमा कर सकती है।

महोदया, संवर्द्धन और पुन: प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर जी-8 के निर्णय के संबंध में कुछ सदस्यों ने जुलाई में ला-अकिला शिखर सम्मेलन में अप्रसार के बारे में जी-8 देशों द्वारा जारी किए गए वक्तव्य तथा संर्वद्धन तथा प्रसंस्करण मदों और प्रौद्योगिकियों के अंतरण के बारे में दिए गए संदर्भ के मुद्दे को उठाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिंता व्यक्त की गई है। कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों अर्थात भारत जैसे देशों को संवर्द्धन और पुन: मदों प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी अंतरण रोकने के लिए कतिपय देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाुण सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। गत वर्ष सितम्बर में इस उद्देश्य के अनुरूप भारत में परमाणु आपूर्तिकता समूह (एन.एस.जी.) से बिना शर्त पूर्ण मैं दोहराता हूं कि बिना शर्त पूर्ण छूट प्राप्त की जो कि भारत के लिए ही थी। उस समय भी कुछ शर्त थोपने के प्रयास किए गए परंतु हमें बिना शर्त पूर्ण छूट प्राप्त हुई जिसका अर्थ है कि 45 देशों वाले परमाणु आपूतिकर्ता समूह अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सभी प्रौद्योगिकियों के अंतरण हेतु सहमत हो गए हैं।

दिनांक 6 सितम्बर 2008 को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा स्वीकृत, भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु सहयोग प्राप्त करने के बदले में भारत की पारस्परिक वचनबद्धताएं और कार्रवाई सम्मिलित है। हमें आशा है कि संवर्द्धन और प्रसंस्करण मदों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण से संबंधित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का कोई भी भावी निर्णय एन एस जी द्वारा भारत को प्रदान किए गए विशेष दर्जे को ध्यान में रखेगा। एन एस जी ने अच्छी तरह यह जानते हुए हमें बिना शर्त पूरी छूट दी है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

ऐसे अंतरण पर एन एस जी द्वारा प्रतिबंध के लिए सभी 46 देशों में सहमति की आवश्यकता होगी।

एन एस जी द्वारा भारत को दी गई छूट परामर्श की व्यवस्था करता है और इस तरह हम निकाय के साथ कार्य रहेंगे ताकि वैश्विक नाभिकीय समुदाय द्वारा भारत को प्रदान विशेष दर्जे को ध्यान में रख कर कोई भी निर्णय लिया जाए।

जहां तक जी-8 का संबंध है, तथ्य यह है कि जी-8 समूह के साथ स्वत: हमारा कोई सिविल नाभिकीय सहयोग समझौता नहीं

[डॉ. मनमोहन सिंह]

हुआ है। यद्यपि हमने फ्रांस, रूप और अमरीका के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

मैंने यह पहले भी कहा था और मैं इसे दोहरा रहा हूं। जब मैंने जी-8 वक्तव्य पढ़ा मैंने इस मामले को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उठाया था। उन्होंने मुझे उदारतापूर्वक बताया कि जहां तक फ्रांस का संबंध है इन प्रौद्योगिकियों के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुत: उन्होंने स्वयं कहा। उन्होंने कहा "यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे सार्वजनिक करूं तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूं।" इस क्षेत्र में जहां तक मेरी समझ है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में ऐसी कोई सहमति नहीं है कि भारत को इस प्रौद्योगिकी के पुन: संसाधन और संवर्धन से रोका जाए।

महोदया, चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने संवर्धन और पुन: संसाधन मदों प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु पूर्व शर्तों को स्वीकार करने संबंधी मुद्दे को उठाया है। मैं, एक बार पुन: श्री यशवंत सिन्हा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लंबित वैश्विक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के कारण भारत के गैर-नाभिकीय शस्त्र राष्ट्र के रूप में परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि संवर्धन और पुन: संसाधन मदों और प्रौद्योगिकी के अंतरण का भारत में विदेश से आए प्रयुक्त ईंधन के पुन: संसाधन के और ऐसे ईंधन का हमारी अपनी सुरक्षा सुविधाओं के लिए प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदया, अंतत: मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि भारत को संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र की पूर्ण विशेषज्ञता हासिल है, और इसमें संवर्धन और पुन: संसाधन प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। हमारे पास अपनी मजबूत ई एण्ड आर अवसंरचना है। हमारा घरेलू तीन चरणीय नाभिकीय उर्जा कार्यक्रम पूर्णत: स्वदेशी और आत्मनिर्भर है। हमारा स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम और संबद्ध प्रौद्योगिकी हमें उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल करती है, जिनके पास आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां है। संवर्धन और पुन: संसाधन मदों और प्रौद्योगिकी का भारत के लिए अंतरण पूर्ण अंतरराष्ट्रीय सिविल नाभिकीय सहयोग का भाग है, जो हमारे तीन चरणीय कार्यक्रम में गति लाने में सहायक होगा।

महोदया, मेरा मानना है कि मैंने सभी मुख्य मुद्दों का सही उत्तर दिया है। माननीय विदेश मंत्री वाद-विवाद समाप्त करेंगे। वे अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय प्रधानमंत्री जी, आने बहुत विस्तृत जवाब दिया, लेकिन आपकी बात में से दो प्रश्न क्लाइमेट चेंज और ईएनआर पर निकलते हैं। आपने बोला है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप जवाब देकर चले जाइयें, मैं अपनी बात पांच मिनट में कह दूंगी। क्लामेंट चेंज पर आने कॉमन बट डिफरेनशिएटेड रिस्पोन्सिबिलिटी की बात की। यह वही सिद्धांत है कि जो जितना बिगाड़े, वह उतना सुधारे। वह अपनी जिम्मेदारी दूसरे देशों पर न डाले। कॉमन बट डिफरेनशिएटेड रिस्पोन्सिबिलिटी का सिद्धांत रियो-डी-जेनेरियो में भी आया, जब यूएन फ्रेमवर्क कंवेशन आई और उसके बाद क्योटो-प्रोटोकॉल में भी आया। क्योटो-प्रोटोकॉल को आज तक अमरीका ने रेक्टीफाई नहीं किया। लेकिन आपने अभी कहा कि वहां मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स में ब्राजील, साउथ-अफ्रीका-मैक्सिको सब आपके साथ आ रहे थे। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि अब मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स में बाकी देशों का साथ हमें मिल रहा था तो भारत ने हेलरी क्लिंटन के आने के समय बाईलेटरल नेगोशिएशन्स में अपने आपको एंगेज क्यों किया? बाइलेटरल नेगोशिएशन्स में अमरीका का चीफ नेगोशिएटर टॉड स्टर्न जब यहां आया तो भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री ने यह कहा कि हम इन शर्तों को नहीं मानते, तो उसने उनकी बात कहने से, इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि भारत तो वहां मान चुका। जी-17 के देशों में भारत मान चुका तो आपकी बात मैं यहां स्वीकार नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कॉमन बट डिफरेनशिएटेड रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत जो मल्टीलेटरल नेगोशिएशन्स चल रही थीं, उनसे अलग एक इतने बड़े विकसित देश के साथ, भारत जैसे विकासशील देश ने अलग से नेगोशिएशन्स करने की बात क्यों की? महोदया, मैंने कहा था कि मेरे दो प्रश्न हैं। पहला-क्लाइमेंट चेंज के बारे में और दूसरा-ईएनआर के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने कह दिया है। मेरा दूसरा सवाल ईएनआर के बारे में है, जिसके बारे में यशवंत सिन्हा जी ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि भारत अमरीका परमाणु समझौते के तहत एक स्टेट आफ दि आर्ट रिप्रोसेंसिंग फेसिलिटी इस्टेब्लिश करने की बात यहां की है। जब जी-8 ने आप पर बैन लगा दिया, तो एक पुर्जा भी आपकों यहां से मिलने वाला नहीं है। फ्यूल का सवाल नहीं है, सवाल टेक्नोलोजी ट्रांसफर का है। जब एक भी पुर्जा आपको उसके लिए मिलने वाला नहीं है, तो क्या बहुत बड़ा बोझ भारत ने अपने ऊपर नहीं ले लिया है? मैं ये दो सवाल पूछना चाहती हूं।

[अनुवाद]

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंवेन्शन की रूपरेखा के बाहर कोई भी द्विपक्षी बातचीत नहीं हुई है। चर्चाए हुई हैं, जब हम द्विपक्षीय बैठकें करते हैं तो विभिन्न विषयों पर चर्चाए होती हैं। परन्तु ये बातचीत नहीं है। यह वार्ता मंच फ्रेमवर्क कंवेन्शन, कोपनहोगन प्रक्रिया का भाग है और रहेगा। इसे देखने का यही सही तरीका है। हम जी-8 में

जो भी चर्चा करते हैं, यह सब सहमति बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों को खोजने के लिए निर्मित किया गया है। ये बातचीत मंच तो बिल्कुल नहीं है।

अब ई एण्ड आर सुविधाओं के संबंध में 123 समझौता समर्पित पुनः संसाधन सुविधा की व्यवस्था करता है। इसके लिए बातचीत पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए एक समय-सीमा थी जिसके अंदर ये बातचीत पूरी की जानी थी। वे सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि पुनः संसाधन सुविधा में किसी तरह की परेशानी आएगी। सबसे पहले यह निश्चित नहीं है कि 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह जी-8 के निर्णय का समर्थन करेंगे या नहीं। विगत में भी ऐसे प्रयास किए गए थे। परन्तु मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में अनेक लोगों का ऐसा विश्वास है कि भारत को अलग नजर से देखा जाना चाहिए और यही वह मजबूत आधार है जिसने आम सहमति नहीं बनने दी जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, हमारी विदेश नीति के स्तंभ जिनका श्री यशवंत सिन्हा द्वारा उल्लेख किया गया था मैं तभी से दरारे आने शुरू हो गई थी जब बीजेपी सत्ता में थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया हमने देखा है कि कैबिनेट स्तर का मंत्री अमरीका के जूनियर मंत्री श्री स्ट्रोब टलबोट से एक दिन लंदन में, दूसरे दिन वाशिंगटन, न्यूयार्क और फिर किसी अन्य स्थान पर गुप्त रूप से मिले थे। हमने अपनी विदेश नीति सी टी बी टी और एन पी टी हस्ताक्षर के संबंध में भी सहमति देखी है।

हमारी विदेश नीति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, हमने देखा है कि जब अमरीका द्वारा ईराक पर हमला किया गया था, तत्कालीन सरकार ने ईराक पर हुए निर्दयतापूर्ण हमले की निन्दा नहीं की थी।

हमें तीन दिनों तक दोनों सभाओं की कार्यवाहियों को रोकना पड़ा था। आप उस समय राज्य सभा में थे। हमें सभा की कार्यवाही को तीन दिनों तक रोकना बाधित करना पड़ा था, सभा को तीन या चार दिनों तक रोकना पड़ा था और फिर सरकार ने एक नरम संकल्प पर सहमति जताई अर्थात "निन्दा" करने के स्थान पर 'अफसोस जताया। हमें इसकी आशंका थी। इसलिए यूपडी-I के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विदेश नीति संबंधी पैराग्राफ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति होगी और अमरीका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, परन्तु यह रणनीतिक संबंध नहीं होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री ने इटली और मिस्र से वापस लौटने पर सभा में वक्तव्य दिया उसी दिन जिस दिन वे इटली और मिस्र से वापस लौटे थे, जहां उन्होंने आखिर में एक पैराग्राफ कहा था और मैं उसे यहां उद्धृत कर रहा हूं:

"भारत पाकिस्तान के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है और समझौता ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा शांति और सौहार्द के साथ स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया का सपना पूरा किया जा सकता है।"

मैं इस तर्क से सहमत हूं। परन्तु पूर्ववर्ती पैराग्राफ में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा:

> "पाकिस्तान के साथ किसी सार्थक वार्ता का प्रारंभ उनके द्वारा उनकी प्रतिबद्धता के अक्षरक्षः अनुपालन से ही हो सकता है, जिसमें उनके देश का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत के विरुद्ध आतंकी कार्यकलापों के लिए न करने दिया जाए।
>
> इसके बाद उन्होंने कहा:
>
> "आतंकवाद पर कार्यवाही को संयुक्त वार्ता से नहीं जोड़ा जा सकता और इसलिए अन्य घटनाओं की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश किसी भी भावी आंतकी हमले पर समुचित समय, विश्वसनीय और कार्ययोज्य सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।"

यह वक्तव्य ही विरोधाभासी है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि वार्ता की आवश्यकता है क्योंकि अनेक लंबित मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना है। परन्तु आतंकियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और पाकिस्तान पर आंतकियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। पिछले वर्ष 26 नवम्बर को हुए अपराध से जुड़े लोगों को दंड मिलना चाहिए। परन्तु कैसे?

जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी सार्थक वार्ता का प्रारंभ उनके द्वारा उनकी प्रतिबद्धता के अक्षरक्षः अनुपालन से ही हो सकता है, जिसमें उनके देश का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत के विरूद्ध आतंकी कार्यकलापों के लिए न करने दिया जाए, और फिर आतंकियों के विरूद्ध कार्यवाही को अलग करना, आंतकवाद पर कार्यवाही को संयुक्त वार्ता से न जोड़ना, आपस में विरोधाभासी हैं।

यह अमरीका के दबाव के तहत किया गया है। इस संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान को भी इस समझौते में शामिल किया गया है। यह भी अमरीका के दबाव में किया गया है।